Arbitration वाद सं0—85/2019

श्री हेमंत शुक्ला

बनाम

राज्य सरकार एवं अन्य

<u>आदेश/अवार्ड</u>

अनुसूची 14—फारम सं0—563

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3
11.04.2023	प्रस्तुत Arbitration वाद श्री हेमंत शुक्ला, पिता—चन्द्रिका शुक्ला, ग्रा0+पो0—चोरौत, थाना— चोरौत, जिला—सीतामढ़ी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं0— 527 C अन्तर्गत अधिग्रहित जमीन (खाता सं0—799, खेसरा सं0—14715, 14719, 14720, 14746, 14747, 14758, 23146, 23148, 23332, 29930, 14784) के उचित मुआवजा का भुगतान नहीं किये जाने के विरूद्व दायर किया गया है। दिनांक—18.03.2023 को जिला भू—अर्जन पदाधिकारी, सीतामढ़ी एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के विद्वान अधिवक्ता से प्राप्त प्रतिवेदन वादी को हस्तगत कराया गया तत्पश्चात् सुनवाई प्रारंभ की गयी। वादी के विद्वान अधिवक्ता का दावा है कि अधिग्रहित की जा रही भूमि (खाता सं0—799, खेसरा सं0—14715, 14719, 14720, 14746, 14747, 14758, 23146, 23148, 29930, 14784) विकाशील किस्म की भूमि है जो Schedule-01 के अन्तर्गत है एवं इसका MVR रेट रू0— 27,000/— डी0 है। उनका यह भी दावा है कि खेसरा सं0—23332 मुख्य सड़क/उच्च पथ से सटे अवस्थित है जो Schedule-02 के अन्तर्गत है एवं इसका MVR रेट रू0—2,10,000/— डी0 है। सुनवाई के दौरान NHAI के विद्वान अधिवक्ता ने लिखित अभिकथन समर्पित करते हुए उल्लेख किया है कि NHAI Act-1956 की धारा—3G (5) के अधीन वादी द्वारा समर्पित वाद पत्र स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह मुआवजा राशि के निर्धारण	

WEB COPY NOT OFFICIAL

	के बजाये जमीन के वर्गीकरण से संबंधित है। सक्षम प्राधिकार–सह–जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा वादी के वाद पत्र के प्रत्युत्तर में अपने कार्यालय पत्रांक–256 दिनांक–16.03.2023 द्वारा प्रतिवेदन समर्पित करते हुए उल्लेख किया है कि अधिग्रहित भूमि का 3D गजट प्रकाशन के अनुरूप भीठ–02 मानते हुए मूल्यांकन किया गया है। DLAO, सीतामढ़ी द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि 3A अधिसूचना के प्रकाशन के 21 दिनों के अंदर हितबद्व व्यक्तियों को आपत्ति देने का अवसर था, परन्तु वादी के द्वारा भूमि के किस्म के प्रति कोई आपत्ति समर्पित नहीं की गई। वादीं के विद्वान अधिवक्ता, NHAI के विद्वान अधिवक्ता, DLAO, सीतामढ़ी को सुनने एवं वाद अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादी का मुख्य दावा भूमि के प्रकृति के आधार पर मूल्यांकन कर मुआवजा भुगतान से संबंधित है। इस संबंध में जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सीतामढ़ी ने अपने पत्रांक–256 दिनांक–16.03.2023 द्वारा यह स्वीकार किया है कि अधिग्रहित भूमि का 3D गजट प्रकाशन के अनुरूप भीठ–02 मानते हुए भूमि का मूल्यांकन किया गया है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि Ministry of Road transport and highways, Government of India के पत्रांक–NH-11011/30/2015-LA दिनांक–28.12.2017 के अनुसार भूमि की प्रकृति 3A अधिसूचना के आधार पर निर्धारित की जाती हैं, जिसका राजस्व अभिलेख खतियान होता है। साथ ही इस संबंध में MORTH के पत्रांक– NH-11011/30/2015-LA दिनांक–28.12.2017 के कंडिका–10 (iii) में उल्लेखित प्रावधान है:– **“Certain undesirable practices have come to notice of the Central Government. These include change in the nature of land or adoption of incorrect classification of land for determination of market value of land. it may be noted that the nature of land has to be**	

WEB COPY NOT OFFICIAL

taken as recorded in the revenue records on the day of publication of section-3A notification. for instance, if some landowner/interested person has raised a factory building or a commercial building upon the land under acquisition without obtaining the "Change in Land use" from the competent authority prescribed by the State Government, he/she cannot take the benefit of treatment of such land as industrial" or "commercial".

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वादी को मुआवजा का भुगतान किया गया है, जो नियमानुकूल है।

अतएव जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा भुगतान संबंधी पारित आदेश में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं पाते हुए प्रस्तुत वाद अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

आर्बिट्रेटर–सह–आयुक्त तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर।	**आर्बिट्रेटर–सह–आयुक्त तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर।**

WEB COPY NOT OFFICIAL

WEB COPY NOT OFFICIAL